**प्रतिबंध**

1. विकासकर्ता अंकन लगी भूमि पर निर्माण कार्य तब प्रारंभ किया भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता के पक्ष में निष्पादनुसार एवं विधिक रूप से हस्तान्तरित हो चुका हो।
2. राजकीकीय क्षेत्र के उपक्रम स्थान के अन्तर्गत आने वाली राज्य सरकार, सरकारी भूमि व संवैधिक भूमि का निर्विघ्न तीव्र दौड़ निष्पादित होने पर सम्बन्ध प्राप्त होने के पश्चात ही उक्त भूमि पर विकासकार्य विकास करने का प्रावधान है।
3. विकासकर्ता द्वारा जोन निर्माण विभाग, एण्टरप्राइजेजकॉर्प, जल संस्थान, विद्युत विभाग एवं यू.पी. जल निगम की अनापत्ति 3 माह के अन्दर्गत प्रस्तुत करना हो प्रस्तुत कर लिया जायेगा। देरी न होने की दशा में सम्बन्धित स्वतः निरस्त माना जायेगा।
4. प्रस्तावित मॉडेलटी के अंदाज चार्ट के अनुसार ही भूमि पर भवन होगी जिसका सम्बन्धित विकासकर्ता से भार में होगा है।
5. विकासकर्ता द्वारा प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत द्वारा निर्धारित दरों पर निष्पादित एग्रीमेंट विक्रय अनुसार दिनांक 06.06.2011 के अनुसार भवन पर विकास कार्य सुनिश्चित करना होगा।
6. राजकीकीय क्षेत्र के विकास कार्यों के फलस्वरूप विकासित होने वाले व्यवसायों (यदि कोई हो) के लिये व्यवस्था शासकीय सरकार की पृथकीय नीति के अनुसार पृथकीय की व्यवस्था करनी होगी।
7. विभिन्न आनुषंगिक सुविधाओं जैसा-सुलिक केन्द्र, पावर सप्लाय, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंज एवं इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन आदि हेतु आवंटित भूमि को उक्त सम्बन्ध सम्बन्धित विभागों को निःशुल्क हस्तांतरित कराया जाना होगा।
8. पी.एस.पी. के अन्तर्गत में प्रावधान होने वाली किसी भी सेवाएं की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। प्रतिवेदन हस्ताक्षे जिसे जिम्मेदार नहीं होगा।
9. राजकीकीय के अन्दर विकास कार्य पूर्ण करने के उपरान्त प्रतिवेदन के पूर्वक प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
10. स्थल पर फलदित कॉलोनी का निर्माण पहले हुए एवं सुलभ पाए जाएगा होगा।
11. निर्माण मानचित्र के अनुरूप स्थल पर ग्रेड प्रारंभ इंजीनियर सहायक सुनिश्चित करनी होगी।
12. निर्माण मानचित्र के अनुरूप स्थल पर ढाँचा स्वीकृत की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
13. पावरफीलर पाएगी के अन्य में निर्माण फलदित में दर्शित 2% क्षेत्रफल संख्या भूमि निष्पादित फीसेन्ट्रल फाक्स विलेज दिनांक 15.02.2016 को प्रतिवेदन की अनुमति के अनुसार विकासकार्य Rent/लाइसेन्स नहीं कर सकेगा।
14. सहदेव राजकीय क्षेत्र जारी शासनादेशों में प्रतिवेदित समय निर्देशों का अनुपालन विकासकर्ता को सुनिश्चित करना होगा।
15. विकास मानचित्र के अनुरूप प्रथम चरण का विकास कार्य शासनादेश एवं मानकों के अनुरूप पूर्ण करना होगा तथा ओवर एक्स का अनुप्रयोग करते हुए शासकक्ष सुविधायें उपलब्ध करानी होगी।
16. राजकीय के विकास हेतु बाद विकासकर्ता द्वारा स्थल पर उपलब्ध ढाँच सुविधाओं के कोई कार्यिकीयिटी दिया जाता है तो प्रतिवेदन की मांग के अनुरूप उसे कार्यिकीयिटी आवंटन 15 दिन के अन्दर जमा करना होगा।
17. सहदेव राजकीय नीति के अनुरूप शासनादेश का समय अवधि पर प्रारंभ विकास कार्य विकासकर्ता को ही पूर्ण करना है। उपरोक्त के अतिरिक्त यदि प्रतिवेदन द्वारा किसी विकास शुल्क इत्यादी को मांग की जाती है तो उसे प्रतिवेदन करेन में उस करना होगा।
18. निर्माण मानचित्र में संशोधित आवश्यक, फलस्वरूपित, संशोधन के अन्य शुल्कों का भवन निर्माण के पूर्व प्रतिवेदन से भवन मानचित्र परिवेदन कराया ही निर्माण कार्य करना होगा।
19. निर्माण मानचित्र के अनुरूप किया प्रस्तुतिया शासनों व कार्य-कर्मियों को पूर्ण सफल में संचालन करना होगा।
20. विकासकर्ता द्वारा पूर्व में संशोधन कराया भवन विन्यास मानचित्र स्वीकृत दिनांक 26.06.2014 तथा निरस्त पाया जायेगा, इसका उपयोग कहीं पर भी नहीं किया जायेगा।
21. सहदेव राजकीय के विकास हेतु शासन द्वारा निर्धारित मार्ग लाइन एवं शासकीय नीतियों के अनुरूप विकासकर्ता द्वारा शासकक्ष सहयोगी सुविधायें करनी होगी।
22. आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग वर्ग एवं 10 प्रतिशत सुलभ/सस्ता आवास आय वर्ग के उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत सुलभ्यों का आवंटन शासनीय अधिकारी के उपलब्ध की आवश्यता में गठित समिति के माध्यम से किया जाना होगा।
23. प्रस्तावित हाई-टेक टाउनशिप के अन्तर्गत आने वाली प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए विकासकर्ता आपनी/ कार्यालयिक द्वारा कॉलेज जन सुविधाएं तथा-कार्यालय तथा-रेस्टोरेन्ट, आवासीय, क्लीनिक्स एवं सिनेमा-आदि, आदि निष्पादनुसार उपलब्ध कराई जायेगी। जिसे हेतु शासनीयों द्वारा निष्पादनुसार पूरक फलदित होन होगा।
24. प्रस्तावित योजना के फलस्वरूप विकासित होने वाले ट्रांसि हेतु व्यवसाय की पृथकीय नीति के प्रावधानों एवं अनुप्रयास किये जाने का प्रतिवेदन विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत शासनीय अपेक्षाओं/कुलदर डीसीआर्स में किया गया है, उसे कि निष्पादनुसार किया जायेगा।
25. विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत विकासों से संशोधित अनापत्ति/स्वापत्ति पत्रक के अन्य कर प्रस्तुत किया जाना होगा।
26. भू-फलोपर परिवर्तन शुल्क निष्पादनुसार जमा कराना होगा।
27. पूर्व-भौतिकी के क्रम में विकासकर्ता द्वारा कार्य किसी सम्पत्ति का आंकलन/विक्रय किया पाया है तो उसका सम्बन्धित विकासकर्ता द्वारा वसूल किया जाना होगा।
28. रेरा के नियमों का पालन करना होगा।
29. लखनऊ मास्टरप्लान-2031 में प्रावधानित 45मी मेजर एवं आउटर रिंग रोड के परिक्षण परिवर्तन के अनुसार लखनऊ मास्टरप्लान 2031 में संशोधन किया जाना है।
30. संशोधित मैप्स डिजीटलाइज होने पश्चात ही फलस्वरूप विकासकर्ता को सौंपे जाएंगे।
31. पब्लिक मैप्स में प्रतिवेदन होने वाले अन्य प्रयास विकास तथा भवनोंआना भारी आदि का ज्ञान यदि विकासकर्ता को होता है तो सेक्षम अनुपालित शुल्क शासन/राजकाज विभाग प्रतिवेदन द्वारा भरी जाने पर 30 दिन के अन्दर प्रतिवेदन को देय होगा।
32. विकासकर्ता द्वारा उपरोक्त शर्तों एवं के अलावा शासन द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली शर्तों का पालन करना होगा।

प्राधिकरण द्वारा जारी मानचित्र के अनुसार ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
मानचित्र में दर्शाये गये मार्ग/भूखण्ड का ही विक्रय